शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा

जिला-बालोद (छ.ग.)

Website : www.gcarjunda.com
E.mail : govtcollege.arjunda1988@gmail.com

॥ विवरणिका ॥

सत्र : 2023- 2024

महाविद्यालय में प्रवेश की सूचना मिलने के साथ ही प्राप्त प्रवेश पत्र में समस्त देय शुल्कों का पूर्ण विवरण भी रहता है अतः सभी छात्र-छात्राओं को चाहिए कि वे अपने प्रवेश पत्र सावधानीपूर्वक रखें। छात्र-छात्राओं को प्रत्येक शुल्क का भुगतान करते समय अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश पत्र प्रस्तुत किए बिना महाविद्यालय द्वारा कोई शुल्क जमा नहीं होगा। यह विद्यार्थियों के हित में है कि वे शुल्क का भुगतान करते समय इस बात की जांच कर लें कि प्रवेश पत्र में संबंधित प्रविष्टियां सही की गई है। प्रवेश पत्र गुम हो जाने की अवस्था में छात्र-छात्रा को रू. 10.00 जमा करके नया (डुप्लीकेट) प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा।

15. परिचय पत्र एवं उपयोग :-

प्रत्येक छात्र-छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश देते समय एक परिचय पत्र दिया जावेगा। छात्र-छात्रा को महाविद्यालय में हमेशा यह परिचय पत्र अपने पास रखना होगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा मांगने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। मांगे जाने पर परिचय पत्र प्रस्तुत न किए जाने की अवस्था में छात्र-छात्रा को किसी भी शिक्षक/शारीरिक शिक्षा निर्देशक के द्वारा कक्षा अथवा महाविद्यालय समारोह में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। परिचय पत्र के लिए आवश्यक दो पासपोर्ट आकार के फोटो छात्र-छात्राओं को प्रवेश के समय जमा करना होगा। परिचय पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही संबंधित छात्र-छात्रा को पुस्तकालय से पुस्तके निर्गमित की जा सकती है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा सुरक्षा निधि की वापसी के समय भी परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र खो जाने की अवस्था में छात्र-छात्रा को रू. 10.00 शुल्क जमा करके परिचय पत्र की दूसरी (डुप्लीकेट) प्रति प्राप्त करनी होगी।

16. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करना, साक्षात्कार एवं शुल्क का भुगतान :-

प्रवेशार्थी छात्र/छात्रा महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि की समाप्ति के पूर्व अपना पत्र कार्यालय में जमा करें और आवेदन पत्र जमा करने की पावती प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र में उल्लेखित) संलग्न करें साथ ही अपना दो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी लगायें।

यदि प्रवेशार्थी को प्रवेश के पूर्व साक्षात्कार के लिए बुलाया जाय तो उसे सभी प्रमाण पत्रों की तथा अंक सूची का मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। आवश्यक शुल्क निर्धारित समय में जमा करने के पश्चात ही आवेदक का नाम प्रवेश प्राप्त महाविद्यालय छात्र/छात्रा की सूची में सम्मिलित किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जावेगा/विलंब शुल्क देय होगा।

17. अनुशासन :-

महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को एक गंभीर तथा दण्डनीय अपराध माना जावेगा। इस विषय में तुरंत कार्यवाही की जावेगी। विद्यार्थी से विनम्र एवं अनुशासित रहने की अपेक्षा के साथ ही उसके लिए कक्षाओं में सभी विषयों में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वे महाविद्यालय परिवार में किसी प्रकार की अभद्रता नहीं करेंगे। अन्यथा ऐसे मामले में उनके पालक को सूचित कर उसे महाविद्यालय

प्राचार्य

से निष्कासित भी किया जा सकेगा। ऐसे किसी भी विवाद में प्राचार्य महोदय का निर्णय अंतिम होगा। महाविद्यालय का अनुशासन हमेशा सराहनीय रहा है। ऐसी आशा की जाती है कि इस परम्परा का भविष्य में भी निर्वाह होता रहेगा। विद्यार्थी का आचरण तथा व्यवहार अपने सहपाठियों कर्मचारियों और प्राध्यापकों के साथ अच्छा रहेगा, ऐसी अपेक्षा की जाती है। विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में या बाहर अपने व्यवहार द्वारा महाविद्यालय का मस्तक ऊंचा रखेंगे तथा महाविद्यालय परिसर में नियमों का एवं आचरण संहिता का पालन करना उनका आवश्यक कर्तव्य होगा।

17.1 आचरण संहिता - छात्रों के पालनार्थ :-

1. छात्रों को सरल निर्व्यसनी और मितव्ययी जीवन ही बिताना चाहिए अतएव विशेषतः कालेज की सीमाओं में किसी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करें। छात्रों को वेशभूषा की तड़क-भड़क या विलासितापूर्ण श्रृंगार शोभा नहीं देता, इसका छात्र-छात्राओं को ध्यान रखना होगा।
2. छात्रों की यदि कोई कठिनाई हो तो उसे प्राध्यापक अथवा प्राचार्य के समक्ष निर्धारित प्रणाली से शांतिपूर्ण आवेदन के रूप में प्रस्तुत करना उचित होगा।
3. आन्दोलन, हिंसा अथवा आतंक द्वारा किसी भी कठिनाई को हल करने का मार्ग वे नहीं अपनायेंगे।
4. छात्र सक्रिय दलगत राजनीति में भाग नहीं लेगें और अपनी समस्याओं के विषय में राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से न तो हस्तक्षेप करायेगें और न इनसे कोई सहायता मागेंगे।
5. परीक्षाओं में या उसके संबंध में किसी प्रकार से अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचार माना जावेगा।
6. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और कीर्ति कैसे बढ़े और उसमें किसी प्रकार का कलंक न लगे, ऐसा व्यवहार छात्रों को अनुशासन और संयम में रहकर करना चाहिए।
7. आचरण के साधारण नियमों के भंग होने पर छात्रों को चाहिए कि वे दोषी व्यक्ति को उचित दण्ड देने में सहयोग दें, जिससे महाविद्यालय का प्राथमिक कार्य (अध्ययन एवं अध्यापन) शांति और मनोयोग के साथ चल सके।
8. छात्रों को यह सावधानी रखनी होगी कि उन पर किसी अनैतिकता मूलक या अन्य गंभीर अपराध का अभियोग न लगे। यदि ऐसा हुआ तो तत्काल उनका नाम महाविद्यालय से निरस्त कर दिया जावेगा और वे महाविद्यालय में किसी भी छात्र प्रतिनिधि के पद पर बने नहीं रह सकेंगे।

17.2 अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम :-

मध्यप्रदेश विश्व वि. अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र-छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम हैं। अनुशासन हीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान हैं :-

प्राचार्य
शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
जिला - बालोद (छ.ग.)

(1) निलम्बन (2) निष्कासन (3) विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना (4) रेस्टिकेशन

17.3 रैगिंग एवं दण्ड :-

रैगिंग की त्रासदायी प्रताड़ना को स्थायी रूप से रोका जा सके इसलिए महामहिम राज्यपाल के द्वारा 1 सितम्बर 2001 को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अध्यादेश 2001 जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा रैगिंग को सज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध माना गया है। अध्यादेश में रैगिंग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैं :

(क) रैगिंग से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्प्रेरित बाध्य या मजबूर करना, जिससे उसके मानवीय मानवीय मूल्य का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित हो, या उसे अभित्रास, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर अपराधिक बल के प्रयोग या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध क्षति या अपराधिक बल प्रयोग कर अभिवास देते हुए किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करता हो।

रैगिंग का अपराध सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय द्वारा दोषी छात्र-छात्रा को पाँच वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है तथा उसे संस्था से निष्कासित किया जा सकेगा। ऐसे छात्र-छात्रा को किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश से वंचित भी किया जा सकेगा। इस अध्यादेश के अंतर्गत प्रताड़ना का प्रकरण अन्वेषण या विचरण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान के द्वारा अभियुक्त छात्र-छात्रा को निलंबित करने तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा उसके छात्रावास में प्रवेश से वंचित करने का भी प्रावधान है। प्रत्येक विद्यार्थी को रैगिंग में भाग न लेने संबंधी एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इस वचन पत्र में छात्रों के अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।

18 महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें :-

महाविद्यालय के छात्र-छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए इस महाविद्यालय में कतिपय योजनायें चलाई गई है जिनका विवरण निम्न है :-

18.1 सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र :-

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं का उचित पथ प्रदर्शन करने के लिए, उनके उपयुक्त रिक्त पदों की उन्हें सूचना देने के लिए विभिन्न व्यवसायों के लिए आवश्यक योग्यता एवं वांछित मानसिक और शारीरिक दक्षता से परिचित कराने के लिए सूचना एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र प्राचार्य द्वारा मनोनीत प्राध्यापकों/ग्रन्थपाल की देखरेख में कार्य करता है तथा महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए यह बहुत उपयोग प्रमाणित हो रहा है।

18.2 बुक बैंक योजना :-

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को 20 सूत्रीय कार्यक्रम का लाभ देने के ध्येय से महाविद्यालय ने बुक बैंक योजना लागू की है। इस योजना के अनुसार छात्र-छात्राओं का अध्ययनार्थ पाठ्य पुस्तकें दी जाती है। यह योजना योग्य अनु. सूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए है इसके तहत पुस्तकें

शहीद दुर्वासा निषाद शासकीय महाविद्यालय

उपलब्ध हैं। संबंधित छात्र-छात्राएं निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

18.3 पुस्तकालय :-

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लाभ प्रद पुस्तकें हैं। पृथक से विभागयी पुस्तकालय भी है, जिससे स्नातकोत्तर कक्षा के विद्यार्थी लाभवित होते हैं। महाविद्यालय द्वारा कई प्रमुख समाचार पत्र, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाएं मंगवाई जाती हैं। महाविद्यालय में वाचनालय कक्ष (रिडिंग रूम) है, जिसके प्रतिदिन खुलने का समय सत्र के प्रारंभ में सूचित किया जाता है। महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने की सुविधा है। पुस्तकें लेते समय उन्हें अपना परिचय पत्र एवं पुस्तकालय पत्रक प्रस्तुत करना होता है।

पुस्तकालय का सामान्य नियम :-

1. स्नातक कक्षा के छात्र एक समय में पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए 1 पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित दिन एवं समयानुसार ही पुस्तकालय से पुस्तकों का लेन-देन करना होगा।
2. स्नातकोत्तर कक्षा के छात्र अपने विभागीय पुस्तकालय से 14 दिन की अवधि के लिए पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के पश्चात पुस्तकें वापस नहीं करने वालों को विलंब के प्रतिदिन प्रतिबुक की दर से अर्थदण्ड देना होगा।
3. छात्रों को चाहिए कि पुस्तके निर्गमित कराते समय वे पुस्तकों का साधानीपूर्वक निरीक्षण कर लें और पुस्तकों के पृष्ठ कटे-फटे या कोई पृष्ठ न होने पर ग्रन्थपाल/सहायक ग्रन्थपाल को तत्काल सूचित कर उनके हस्ताक्षर करवा लें।
4. पुस्तकालय की पुस्तकों में लिखना/रेखांकित करना/पृष्ठ निकालना या किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना दण्डनीय है।
5. पुस्तकालय से निर्गमित पुस्तकों को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व वापस किया जाना आवश्यक होता है किन्तु जिन छात्रों को पुस्तके नहीं लौटानी हो वे अवधान राशि एवं तत्संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पुस्तकें परीक्षा समाप्ति तक अपने पास रख सकते हैं। अवधान राशि पुस्तकें जमा करने पर वापस लौटा दी जावेगी।
6. छात्र-छात्राओं को यह सुझाव दिया जाता है कि पुस्तकालय के सभी नियमों एवं सूचनाओं से स्वतः अवगत होते रहें।

18.4 स्वास्थ्य परीक्षण :-

महाविद्यालय के प्रत्येक नियमित छात्र-छात्रा को मेडिकल आफिसर के सामने उपस्थित होकर अपने स्वास्थ्य की जांच करानी होगी। परीक्षण की तिथि एवं समय यथा सूचित किया जाता है।

18.5 सम्मिलित निधि समिति :-

विशेष :-

1. जाली प्रमाण पत्रों , गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गए प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश, यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तो ऐसे प्रवेश को निरस्त का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है ।

2. प्रवेश लेकर किसी कारणवश पूर्व अनुमति/सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

3. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान महाविद्यालय छोड़ने/प्रवेश निरस्त होने/निष्कासन होने की स्थिति में विद्यार्थी को सिर्फ उसकी संरक्षित निधि (कॉशन मनी) ही वापस होगी ।

4. प्रवेश के बाद सत्र के दौरान अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को है ।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता :-

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक का भागीदार होगा

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी देशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए ।

2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में पूरा सहयोग प्रदान करेगा ।

3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।

4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा ।

5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा ।

6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों तथा तंबाखु इत्यादि का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।

7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गन्दा करना, गंदी बातें लिखना सख्त मना है । विद्यार्थी को असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी ।

8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा । तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलो, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।

9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा
जिला - बालोद (छ.ग.)

अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें, प्राप्त होगी तथा समय में से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा आंतरिक अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थित में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक कारावास की सजा पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

प्राचार्य